न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 115/2018

रामनाथ पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी भैरू जी की मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. राधेश्याम पुत्र श्री रामनाथ निवासी भैरूजी की मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 10.09.2018

निर्णय दिनांक : 16.10.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की पत्नि की मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा वादी के वर्तमान में 2 पुत्र जाइन्दा है जो राधेश्याम व नरोत्तम है। वादी की ग्राम मूण्डली में कुल 20 बीघा भूमि है जिसमें खसरा नं0 537 रकबा 1.35 है0 भूमि वादी की खरीद शुदा भूमि है तथा 12 बीघा भूमि पुश्तैनी है। वादी ने अपने खाते की 12 बीघा भूमि में से 6-6 बीघा भूमि विभाजित कर अपने दोनो पुत्रो को उनके जीवन यापन हेतु दे रखी है तथा शेष भूमि खसरा नं0 537 रकबा 1.35 है0 जो वादी ने स्वयं खरीद की है उसे अपने जीवन यापन हेतु स्वयं के पास रखी है इस विभाजन बाबत पंचो के समक्ष स्टाम्प दिनांक 12.07.2003 को लिखा जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। उक्त आराजी खसरा नं0 537 रकबा 1.35 है0 पर प्रतिवादी कम 1 बुरी नियत रखता है व वर्तमान में मेरे द्वारा बोई फसल को भी हांकने की धमकी दे रहा है। उक्त आराजी में दखलअंदाजी करने का प्रतिवादी कम 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अतः प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी की खाते की आराजी खसरा नं0 537 रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें व वादी को शांती पूर्वक काश्त करने देवे। दोराने वाद यदि प्रतिवादी कम 1 उक्त वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा करने में सफल होता है तो जर्ये पुलिस इमदाद व प्रतिवादी कम 2 प्रतिवादी कम 1 को बदेखल किया जाकर वादी को कब्जा संभलाया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.09.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा सम्मन लेने से भी मना कर दिया गया। अतः प्रतिवादी कम 1 को एक्स पार्टी करे एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध दिनांक 15.10.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि उसकी कब्जे व खाते की आराजी ग्राम मूण्डली में खसरा नं0 537 रकबा 1.35 है0 में प्रतिवादी कम 1 बदनियति रखता है एवं वादी को काश्त करने में दखलअंदाजी करता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 राधेश्याम पुत्र श्री रामनाथ निवासी भैरूजी की मूण्डली को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी की कब्जे व खाते की आराजी ग्राम मूण्डली में खसरा नं0 537 रकबा 1.35 है0 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया